

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या-2932 / 24-पी-2-12-1(121) / 04
लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना
आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिये 1- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 2- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ, 3- उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ, 4- उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 5- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 6- मध्यान्ध्र विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ 7- पूर्वान्ध्र विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी 8- पश्चिमान्ध्र विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ 9- दक्षिणान्ध्र विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड्डाल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

आज्ञा से,

ह0
(अनिल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संख्या-2932-(1) / 24-पी-2-12-1(121) / 04 तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 20.12.2012 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु सचिव ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

ह0
(अनिल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संख्या-2932-(1) / 24-पी-2-12-1(121) / 04 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से सूचित करें।

- 7— सूचना निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने, की व्यवस्था करें।
- 8— विधायी अनुभाग-1
- 9— श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- 10— प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रिसी सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।
- 11— प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि�0, लखनऊ।
- 12— प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि�0, वाराणसी।
- 13— प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि�0, मेरठ।
- 14— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि�0, आगरा।
- 15— गोपन अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3 / ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

ह0

(मुनीन्द्र कुमार सिंह)

उप सचिव

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकर)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या—3952—ऑस / 2012—159 ए0एस0 / 67

दिनांक 28 दिसम्बर 2012

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वांचल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ / दक्षिणांचल, आगरा, केस्को कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2— मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3— पुलिस महानिदेशक (सतकंता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4— समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 5— समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण / पारेषण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 6— अपर सचिव—। / ।। / ।।। / अराज0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7— समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिकारी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 8— उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9— समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10— कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11— समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड(कारपोरेशन मुख्यालय), एवं लेखा शाखा, शक्ति भवन, लखनऊ। ✓
- 12— अधिकारी अभियन्ता (वेब), क0स0-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड। करने हेतु।
- 13— कट फाइल।


(कौशल चन्द्र सक्सेना)
उप महाप्रबन्धक (ऑस)